

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 02 October 2026

ITR फाइल करने से पहले ये जरूरी चीजे जरूर चेक करे, नहीं तो अटक सकता है आपका टैक्स रिफंड ।

Publisher

Published on 23 May 2025



Form 26AS और AIS में एक भी गलती रिफंड में दे सकती है देरी, जानिए किन बातों का रखना है ध्यान ।

नई दिल्ली | 24 मई 2025: यदि आप चाहते हैं कि आपका **इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)** समय पर प्रोसेस हो और **टैक्स रिफंड** जल्दी आपके खाते में आ जाए, तो फाइल करने से पहले कुछ जरूरी चीजें जांच लेना बेहद जरूरी है । वरना छोटी-सी गलती भी आपके रिफंड को रोक सकती है ।

देश में **31 जुलाई 2025 ITR फाइल** करने की अंतिम तारीख है । समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर आपको पेनाल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है । इसलिए **ITR** भरते समय **Form 26AS** और **Annual Information Statement (AIS)** जरूर चेक करें ।

Form 26AS क्या है ?

Form 26AS एक वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें आपके द्वारा चुकाए गए **TDS (Tax Deducted at Source)**, **एडवांस टैक्स**, **सेल्फ असेसमेंट टैक्स**, और **IT डिपार्टमेंट** द्वारा दिया गया रिफंड जैसी जानकारी शामिल होती हैं ।

इसमें निम्न जानकारी होती है:

1. आपके नाम से काटे गए **TDS की राशि**
2. **TDS काटने वाली संस्था का नाम**

३. बड़े लेनदेन जैसे 50,000 रुपये से अधिक का **लाइफ इश्योरेस प्रीमियम**
४. **20,000 रुपये** से अधिक का **हेल्थ इश्योरेस प्रीमियम**
५. **1 लाख रुपये** से ज्यादा की **एजुकेशनल फीस या डोनेशन**
६. **20,000 रुपये** से अधिक का **प्रॉपर्टी टैक्स**

ध्यान दें: **रिटर्न फाइल** करते समय जो **TDS** आप लिखते हैं, वह **Form 26AS** से मेल खाना चाहिए। अन्यथा **आयकर विभाग** पूछताछ कर सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है।

AIS (Annual Information Statement) क्यों जरूरी है ?

AIS यानी वार्षिक सूचना विवरण नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ताकि **टैक्सपेयर्स** को उनके द्वारा किए गए **ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स** मिल सकें जो आयकर विभाग के पास पहले से होती हैं।

यह दो हिस्सों में होता है:

Part A:

१. पैन नंबर, आधार, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस
२. व्यक्ति या कंपनी की बुनियादी जानकारी

Part B:

बैंक ब्याज, डिविडेंड, शेयर लेनदेन, क्रेडिट कार्ड खर्च, म्यूचुअल फंड, टीडीएस, टीसीएस की जानकारी इसे आप www.incometax.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

ITR सही फाइलिंग से क्या फायदे हैं ?

१. **टैक्स रिफंड** जल्दी मिलता है
२. कोई **पेनाल्टी** नहीं लगती
३. लोन या वीजा के लिए **डॉक्यूमेंटेशन** आसान होता है
४. भविष्य में **टैक्स संबंधी** विवाद नहीं होते

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.